प्रेस नोट दिनांक 28/08/2020 थाना गगहा,गोरखपुर

अधिवक्ता हत्याकाण्ड का मुख्य आरोपी चंकी पाण्डेय गिरफ्तार थाना गगहा,गोरखपुर

जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियो पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गोरखपुर के दिशानिर्देश में व श्री विपुल कुमार श्रीवास्तव पुलिस अधीक्षक दक्षिणी महोदय व श्री नितेश सिंह पुलिस उपाधीक्षक बांसगाव के कुशल मार्ग निर्देशन में थानाध्यक्ष राज प्रकाश सिंह उ0नि0 कुवंर गौरव सिंह मय पुलिस फोर्स के ग्राम शिवपुर में हुई अधिवक्ता राजेश्वर पाण्डेय की हत्या के वांछित अभियुक्तो की तलाश मेंबड़गो मोड़ पर मामूर थे कि मुखबिर खास से सूचना मिली कि ग्राम शिवपुर में हुई हत्या के अभियुक्तगण पिता व पुत्रसाउखोर तिराहे पर खड़े है,और कही भागने की फिराक में साधन का इन्तजार कर रहे है। उक्त सूचना परपूर्व से क्षेत्र में रवाना व0उ0नि0 प्रवेश सिंह मय टीम को जरिये दूरभाष अवगत कराते हुये बड़गो मोड़ पर बुलाया गया। उपरोक्त टीम के आने पर टीम को साथ लेकरमय मुखबिर मौके के लिये रवाना हुआ । साउखोर तिराहे से थोड़ा पहले मुखबिर ने तिराहे पर खड़े दो व्यक्तियो की तरफ इशारा कर बताया कि वही दो व्यक्ति है जो वांछित है तथा मौके से चला गया । पुलिस टीम ज्यो ही उन व्यक्तियो के पास पंहुची कि पुलिस टीम को देखकर दोनो व्यक्ति सकपका गये तथा भागने का प्रयास किया कि पुलिस टीम द्वारा घेरघार पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्तियो से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम क्रमशः 1. चंकी पाण्डेय उर्फ प्रेम कुमार पाण्डेय पुत्र महेश्वर पाण्डेय 2- महेश्वर पाण्डेय पुत्र ब्रह्मानन्द पाण्डेय नि0गण शिवपुर सुकरौली थाना गगहा जनपद गोरखपुर बताये जो मु0अ0सं0 587/2020 धारा 147 ,148,149,302,504,34 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त है। कारण गिरफ्तारी बताकर उपरोक्त दोनो अभियुक्तगण को समय करीब 11.15 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। घटना में प्रयुक्त असलहे के बारे में कड़ाई से पूछताछ करने पर चंकी पाण्डेय की निशानदेही पर पुलिस टीम द्वारा नाजायज 12 बोर तमंचा बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त गण को जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण –दिनांक 16/08/2020 को ग्राम शिवपुर में घर के सामने घास छीलने की बात को लेकर विवाद हो गया था जिसमें अभियुक्तगणो द्वारा अधिवक्ता राजेश्वर पाण्डेय की पीठ में गोली मार दी गयी थी, जिनकी इलाज हेतु ले जाते समय रास्ते में मृत्यु हो गयी थी। मृतक राजेश्वर पाण्डेय के पुत्र आदित्य पाण्डेय के प्रार्थना पत्र के आधार पर मु0अ0सं0 587/2020 धारा 147/148/149/302/504/34 भादवि विरूद्ध ब्रम्हा पाण्डेय पुत्र देवीशरण पाण्डेय आदि 5 नफर पंजीकृत किया गया था। जिनमें से दो नामजद अभियुक्तगण व साजिश करने व अभियुक्त को संरक्षण देने के आरोप में प्रकाश में आये दो अन्य अभियुक्तो को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। आज अभियोग उपरोक्त में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी करते हुये मुख्य आरोपी सहित दो अभियुक्तो को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगणका नाम पता

(1) चंकी पाण्डेय उर्फ प्रेम कुमार पाण्डेय पुत्र महेश्वर पाण्डेय निवासी शिवपुर सुकरौली थाना गगहा जनपद गोरखपुर

(2) महेश्वर पाण्डेय पुत्र ब्रह्मानन्द पाण्डेय निवासी शिवपुर सुकरौली थाना गगहा जनपद गोरखपुर

अभियोग का विवरण जिसमें गिरफ्तारी की गयी

मु0अ0सं0 587/2020 धारा 147/148/149/302/504/34भादवि व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट

बरामदगी-

घटना में प्रयुक्त नाजायज 12 बोर तमंचा

गिरफ्तारी का स्थान व समय –

साउखोर तिराहा थाना बड़हलगंज दिनांक 28/08/2020 समय 11.15 बजे

गिरफ्तारी टीम के सदस्यगण-

(1) SO राज प्रकाश सिंह

(2) व0उ0नि0 प्रवेश कुमार सिंह

(3) उ0नि0 प्रधान यादव

(4) उ0नि0 कुंवर गौरव सिंह

(5) का0 रमेश प्रसाद

(6) का0 नन्दलाल गौड़

(7) का0 दीपू कुंवर

(8) का0 विनीत यादव